



1202

CD 85201

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मंडल. म.पु. ग्वालियर

निग - २९६८- ई १८

१. छैककी तनय ग्यादीन अहिरवार
 २. पप्पू उर्फ परमानंद तनय ग्यादीन अहिरवार
 ३. गनैश तनय ग्यादीन अहिरवार

निवासी ग्राम गोटेट तहसील धौरा जिला टीकमगढ़ ... आवेदकगण

॥ फ्रेड ॥

म. प. शासन

• • • अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धोरा 50 म.प. के राजस्व संहिता 1959

विलूद्ध अपर कलैकटर टीकमगढ़ के प्र०क० 14/स्व०निग०/2013-14
मै पारित आदेश दि० 02-06-2016 से दुखित होकर

मान्यवर महोदय,

आवैदकगणी की ओर ते निम्नलिखित पार्थना है :-

I- यहकि, पुकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक गणी ने ग्रामगोटेट तहो लिधौरा जिला टीकमगढ़ में स्थित भूमि खसरा नंबर 806/5 रक्वा 1000 है। का पद्धता दिये जाने बावजूद विधिवत् रूप से आवेदनपत्र नायब तहसीलदार वृत्त लिधौरा तहो जतारा के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसपर नायब तहसीलदार लिधौरा द्वारा अपने

न्यायालय मैं विधिकृत रूप से प्रकरण क्र. 70/अ-19 बृ. वर्ष 2001-02
दर्ज किया गया तथा प्रकरण में विधिकृत रूप से इक्षतहार जारी किया गया।
निर्धारित समयावधि में कोई भी आपरात्तियाँ प्राप्त ना होने के कारण
प्रकरण मैं पटवारी ते रिपोर्ट ली गई एवं कब्जे के सम्बंधमें साक्ष्य ली गई,
एवं पात्रता इत्यादि की जांच करते हुए उक्त भूमि का पद्धता दिनांक
10.10.2002 को जारीग पर्म मैं किया गया उक्त पद्धते के चिह्न कोई
भी अपील या निगरानी ना होने के कारण उक्त आदेश अंतिम हो गया था।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.- 2968-एक/2016

जिला-टीकमगढ़

छक्की व अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के क्रमांक 14/स्व.निग./2013-14 में पारित आदेश दिनांक 02-06-2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-08-2016 को मुख्यालय ग्वालियर में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार -</p> <p>“1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।”</p> <p>4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय</p>	<p>पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर</p> <p>11.1.19</p>

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेजा जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

(आर.क.जैन)

सदस्य 11.01.19